राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़

चतुर्थ तल, छत्तीसगढगृह निर्माण मण्डल व्यावसायिक परिसर, (दक्षिण पूर्व कॉर्नर)
सेक्टर–27, नवा रायपुर, अटल नगर, पिन–492015 (छत्तीसगढ)
दूरभाष–0771–2511287, 2511285, ई–मेलः office.mdnrhm@gmail.com

क्रमांक / NHM / HR / 2020 / NS-161 / 626 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 27/08/2020

–:: दिशा–निर्देश ::–

01.– आवेदन पत्र के संबंध में

- आवेदक विभागीय वेबसाइट **www.cghealth.nic.in** में विज्ञापन का प्रारूप देख सकते है।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत विशेषज्ञ चिकित्सक एवं चिकित्सा अधिकारी (संविदा) की भर्ती हेतु आवेदन पत्र सम्पूर्ण दस्तावेजों सहित ई–मेल आई.डी. **cgnhmrecruitment@gmail.com** में स्वीकार किये जायेंगे अन्य ई–मेल आई.डी. में प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
- किसी भी अभ्यर्थी को कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होना है।

02.– आयु सीमा

- 01 जनवरी, 2020 को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 70 वर्ष होना आवश्यक है। आयु की गणना दिनांक 01 जनवरी, 2020 को आधार मानकर की जावेगी।

03.– **अभ्यर्थी निम्नलिखित दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि को उच्च गुणवत्ता वाले स्कैनर से स्कैन कर (pdf फाईल) निर्धारित ई–मेल में भेजें ताकि दस्तावेजों की पुष्टि उचित तरीके से हो सके। दस्तावेजों की पुष्टि नहीं होने की स्थिति में कार्यालय की कोई जवाबदारी नहीं होगी।**

- 10वी / 12वी की अंकसूची।
- एम.बी.बी.एस की सभी वर्ष की अंकसूची।
- इंटर्नशीप की प्रति।
- एम.बी.बी.एस की डिग्री (स्थायी / अस्थायी) की प्रति।
- स्नातकोत्तर / पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा प्रमाण–पत्र की प्रति।
- छत्तीसगढ़ मेडिकल कांउसिल मे जीवित पजीयंन (स्थायी / अस्थायी) की प्रति।
- जाति प्रमाण पत्र (अजा. / अजजा. / अपिव हेतु)।
- छत्तीसगढ़ मूलनिवास प्रमाण पत्र।
- पहचान पत्र (आधार / वोटर आईडी / पैन कार्ड) की प्रति।
- अभ्यर्थी का 01 पासपोर्ट साईज नवीनतम फोटोग्राफ।

04.– भर्ती के संबंध में सामान्य शर्तें एवं दिशा–निर्देश –

1. अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता (अंकसूची / सर्टिफिकेट) शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से होना अनिवार्य है।
2. अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) होना अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल में पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति पश्चात् 45 दिवस के भीतर पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) कराकर कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
3. निर्धारित ई–मेल के माध्यम से प्राप्त दस्तावेजों को परीक्षण हेतु राज्य स्तर पर गठित समिति एवं मिशन संचालक के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। परीक्षण उपरान्त दस्तावेज सही पाये जाने की स्थिति में पद की रिक्तता एवं उपलब्धता के आधार पर ही अभ्यर्थी की पदस्थापना की जायेगी।
4. अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में पांच पदस्थापना स्थल का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा। उक्त पांच पदस्थापना स्थलों में योग्यतानुरूप पद रिक्त होने की दशा में नियुक्ति आदेश जारी किया जायेगा।

5. पदस्थापना आदेश जारी होने उपरांत अभ्यर्थी को निर्धारित समयावधि में अपने मूल दस्तावेज के साथ संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में उपस्थिति देना होगा, जिससे ई–मेल के द्वारा प्राप्त दस्तावेजों का मिलान किया जा सके।
6. अभ्यर्थी को नियमानुसार शुल्क डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से State Health Socity, Raipur के नाम से संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में मूल दस्तावेजों के मिलान करने समय जमा करना होगा। शुल्क का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	वर्ग	शुल्क राशि रू.
1	विकलांग / अ.जा. / अ.ज.जा. / महिला अभ्यर्थी हेतु	325 / –
2	अ.पि.वर्ग / सामान्य अभ्यर्थी हेतु	650 / –

7. चयनित अभ्यर्थी को संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एकमुश्त मानदेय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा निर्धारित Differential Salary Package अनुसार प्रदान किया जायेगां इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के भत्ता / सुविधा देय नहीं होगी।
8. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी का प्रतिवर्ष कार्यमूल्यांकन किया जायेगा। कार्यमूल्यांकन संतोषजनक होने की स्थिति में संविदा सेवा अवधि की वृद्धि आगामी वर्ष हेतु की जा सकती है।
9. चयनित अभ्यर्थी का कार्य में उपस्थित होने के पश्चात् किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का मानदेय जमा कर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। अभ्यर्थी को त्याग पत्र देने के एक माह पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा अन्यथा एक माह का वेतन जमा किया जाएगा।
10. संविदा भर्ती के संदर्भ में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी आरक्षण नियम एवं समय–समय पर जारी अन्य निर्देश / आदेश / नियम यथा संशोधित लागू होंगे।
11. संविदा भर्ती हेतु अन्य शर्तें एवं नियम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ द्वारा जारी मानव संसाधन नीति 2018 के अनुसार लागू होंगे।
12. विशेष आरक्षण अर्हता रखने वाले (विकलांग / भूतपूर्व सैनिक / महिला आरक्षण नियमानुसार होगी) अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी उससे संबंधित दस्तावेज संलग्न किये जाने होंगे अन्यथा ऐसे अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में प्रमाण पत्र संलग्न न होने की स्थिति में सामान्य श्रेणी में सम्मिलित किया जावेगा।
13. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। (टीप :–स्थायी जाति प्रमाण–पत्र धारक पात्र होंगे)
14. उक्त संविदा पद अस्थानांतरणीय होगा तथा नियुक्ति आदेश के अनुसार पदस्थापना स्थल में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय व पदस्थापना स्थल में अपनी उपस्थिति नहीं देने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी।
15. ऐसे अभ्यर्थी जिनकी सेवा अनुशासनहीनता / वित्तीय अनियमितता / अनुचित व्यवहार के कारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन या अन्य किसी भी शासकीय विभाग द्वारा समाप्त की गयी हो चाहे वह किसी भी पद पर रहे हों उन्हें अपात्र उम्मीदवारों की श्रेणी में रखा जावेगा।
16. भर्ती की प्रक्रिया के दौरान होने वाले किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लेने का सर्वाधिकार मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ को होगा जो सभी आवेदकों को मान्य होगा।
17. शासकीय / अर्द्धशासकीय संस्था में कार्यरत अभ्यर्थियों को नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं।
18. उपरोक्त समस्त प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ही अभ्यर्थी को आबंटित पदस्थापना स्थल में कार्यभार ग्रहण करने हेतु अनुमति प्रदान किया जायेगा।

उपसंचालक 27/08/2020
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
छत्तीसगढ़